न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 19 / 2024(2024 / 34)

श्री श्योजी पुत्र श्री भारमल जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा (नरवर) तहसील व जिला अजमेर

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री किशना पुत्र श्री दुर्गा जाति रावत
2. महावीर पुत्र श्री दुर्गा जाति रावत
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा (नरवर) तहसील व जिला अजमेर
3. श्रीमती भंवरी पत्नी गोमा पुत्री दुर्गा जाति रावत, निवासी नौलखा तहसील व जिला अजमेर
4. श्रीमती जनता पत्नी छोटू पुत्री श्री दुर्गा जाति रावत निवासी खापरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
5. तहसीलदार अजमेर तहसील अज**मेर**

..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश कमांक 28 दिनांक 23.01.2013 तहसीलदार अजमेर

उपस्थित :–
1. श्री निर्मल कुमार जैन — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पवन टांक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 व 2
3. श्री औमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :–19.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व तहसीलदार अजमेर के आदेश कमांक 28 दिनांक 23.1.2013 जिससे बटवारा किया गया के विरूद्व रूष्ठ होकर अपील प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत होने पर ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस को नोटिस जारी किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आने व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस 45 दिवस अधिक पश्चात भी तामिली अप्राप्त होने एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित नही होने से वकील अपीलांट को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 553 रकबा 1.38 हैक्टेयर, वर्तमान खसरा नम्बर 975 रकबा 0.68 हैक्टेयर, वर्तमान खसरा नम्बर 976 रकबा 0.35 हैक्टेयर, वर्तमान खसरा नम्बर 977 रकबा 0.87 हैक्टेयर, वर्तमान खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.40

जिला कलक्टर
अजमेर

हैक्टेयर, वर्तमान खसरा नम्बर 1223 रकबा 0.40 हैक्टेयर एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल रकबा 4.25 हैक्टेयर जो कि ग्राम भवानीखेडा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है कि जिसके 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार अपीलार्थी श्योजी पुत्र भारमल तथा 1/2 हिस्से के सहहिस्सेदार खातेदार श्रीमती नाथी पत्नी दुर्गा, किशना, महावीर पुत्रगण दुर्गा, श्रीमती भंवरी, जनता पुत्रियां श्री दुर्गा जाति रावत आधारभूत जमाबंदी खाता संख्या 119 के अनुसार दर्ज थे। उक्त भूमि के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अजमेर के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2013 के अनुसार बंटवारा आदेश पारित किया गया जो कि सहहिस्सेदार के मध्य बंटवारा का आदेश पारित किया गया जिसमें भाग (अ) अपीलार्थी को खसरा नम्बर 975/01 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 976/01 रकबा 0.17 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 977/01 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म बा उत्तम, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म बारानी 1, एवं खसरा नम्बर 553/01 रकबा 0.69 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 कुल किता 05 कुल रकबा 2.12 हैक्टर एवं भाग (ब) रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 एवं नाथी पत्नी दुर्गा को खसरा नम्बर 975/02 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 976/02 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 977/02 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म बा उत्तम, खसरा नम्बर 553/02 रकबा 0.69 हैक्टेयर किस्म बारानी 1, एवं खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चाही उत्तम, खसरा नम्बर 1223 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म चाही उत्तम एवं खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.17 हैक्टेयर किस्म चाही उत्तम, कुल किता 07 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर उक्त भाग ब में वर्णित भूमि कि जिसमें श्रीमती नाथी पत्नी श्री दुर्गा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस अपीलार्थी संख्या 01 से 04 है। वर्किंग खसरा नम्बर 3172 जिसका कुल रकबा 07–17–00 जिसमें से रकबा 07–07–00 की भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 तथा श्रीमती नाथी के द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2011 पंजीयन दिनांक 10.05.2011 के अनुसार श्रीमती पारसी देवी पत्नी श्री घीसानाथ को बेचान कर दी गई एवं वर्किंग खसरा नम्बर 3172 का शेष रकबा 10 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2011 को ही श्रीमती अंजूबाला टांक पत्नी श्री सीताराम टांक को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2013 से पूर्व ही बेचान कर दी गई, कब्जा सम्भला दिया गया, पंजीबद्व विक्रय पत्र के अनुसरण में क्रेतागण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज कर दिया गया, वर्किंग खसरा नम्बर 3172 रकबा 07–17–00 के वर्तमान खसरा नम्बर 642 रकबा 0.59 हैक्टेयर एवं वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर बने है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर जो कि इस पेरा में वर्णितानुसार, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 23.01.2013 से पूर्व ही बेचान की जा चुकी थी, के बावजूद वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर की भूमि का अपीलाधीन बंटवारा आदेश

जिला कलक्टर
अजमेर

कि जिसमें, बंटवारा आदेश पारित करने से पूर्व ही वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर बेचान की जा चुकी थी कि जिसे अपीलाधीन बंटवारा आदेश के अनुसार अपीलार्थी के हिस्से दर्शा दी गई, जबकि पुनः उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस पैरा में वर्णितानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर का अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन बंटवाडा आदेश जो पारित किया गया वह गलत है, जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर का बंटवारा किए जाने का अधिनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार ही नही था, इस अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन बंटवारा आदेश विधि विरूद्व है निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त भूमि वर्किग खसरा नम्बर 3172 रकबा 07–17–00 की भूमि को खातेदार श्रीमती पारसी देवी रकबा 07 बीघा एवं श्रीमती अंजूबाला रकबा 00–10–00 की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 642 रकबा 0.5100 खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर बने है, कि जिसे श्रीमती प्रियंका हैडा पत्नी श्री आयुष हैडा को बेचान कर दी गई तथा वर्तमान अन्तिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार खसरा नम्बर 642 रकबा 0.511 एवं 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर के खातेदार दर्ज है, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के हिस्से के बंटवारे के अपीलाधीन आदेश में वर्तमान खसरा नम्बर 643 दर्शायी गई, दी गई गलत है जिसका तहसीलदार अजमेर को बंटवारा किए जाने का अधिकार ही नही था। उक्त वर्णित भूमि जिसमें 1/2 हिस्सा का सह हिस्सेदार खातेदार अपीलार्थी एवं 1/2 हिस्से के हिस्सेदार खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 एवं उनकी माता श्रीमती नाथी का स्वर्गवास हो चुका है, सहहिस्सेदार हे, इस प्रकार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अजमेर के द्वारा बंटवारा को जो अपीलाधीन आदेश पारित किया विधिविरूद्व है। अपीलार्थी जो कि ग्रामीण कृषक है, पढा लिखा नहीं, मात्र हस्ताक्षर करना ही जानता है, अपीलार्थी के द्वारा पटवारी हल्का से अपीलाधीन भूमि के बाबत जमाबंदी की प्रति की मांग की गई इस पर पटवारी हल्का के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 05.03.2024 को ही जानकारी दी गई कि बंटवाडा आदेश दिनांक 23.01.2013 गलत है, कारण कि वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि जो कि बंटवारा आदेश से पूर्व ही सभी सहस्सिेदार खातेदारान के द्वारा बेचान की जा चुकी थी, बंटवारा आदेश में अपीलार्थी के हिस्से में गलत दर्शा दी गई, वर्तमान जमाबंदी में अपीलार्थी के नाम दर्ज नही है बल्कि अन्य खातेदार श्रीमती प्रियंका हैडा पत्नी आयुष हैडा के नाम दर्ज इस प्रकार अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2013 की जानकारी दिनांक 05.03.2024 को होने पर अपीलार्थी के द्वारा प्रमाणित प्रति की प्राप्ति हेतु दिनांक 05.03.2024 को ही प्राप्त हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तु कर दिया गया जिस पर दिनांक 15.03.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलार्थी के द्वारा अपील में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में अन्य समस्त दस्तावेजात एकत्रित कर, अधिवक्ता से परामर्श कर, जानकारी के अनुसार बिना किसी विलम्ब के यह अपील धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थी मय खर्चे

जिला कलक्टर
अजमेर

स्वीकार कर जाकर अपीलाधीन आदेश क्रमांक 28 दिनांक 23.01.2013 ग्राम भवानीखेडा (नरवर) स्थित भूमि के सन्दर्भ में अपीलाधीन आदेश को निरस्त किए जावे ।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट स्वयं द्वारा अपील में स्वीकृत अभिवचनो के तहत प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2013 दिनांक 23.1.2013 को तहसीलदार अजमेर के समक्ष लिखित बटवारा प्रस्तुत कर हस्ताक्षर एवं अगूठा निशानी किया जाना स्वीकार किया गया है, तथा दोनो पक्षों की आपसी सहमति से बटवारा हुआ है, जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में व मौके पर भी पालना हो चुकी है जिससे धारा 96 (3) सी.पी.सी में वर्णित प्रावधानों के तहत अपील प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही अपील गुणावगुण पर ठोस आधारो पर प्रस्तुत नहीं होने तथा विधि का सारभूत बिन्दु भी निहित नहीं होने के कारण 9 वर्षो की दीर्घकालीन अवधि पश्चात प्रस्तुत अपील में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत देरी को क्षमा किए जाने के बाबत भी किसी प्रकार का कोई पर्याप्त एवं सदभाविक कारण नहीं होने से देरी को भी क्षमा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः उपरोक्त अपील अपीलांट विधि का सारभूत बिन्दु निहित नहीं होने एवं कालवर्जित होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन एवं भारहीन होने से खारिज की जाती है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,
अजमेर